



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 1005]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 1560(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (संक्षिप्त रूप में एनपीपीए है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट तत्काल प्रभावी अधिकतम कीमत और उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और इकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	मेफेनिमिक एसिड ओरल लिक्विड	मेफेनिमिक एसिड-100 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.48
2.	प्रेडनीसोलोन ओरल लिक्विड	प्रेडनीसोलोन-5 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.40
3.	प्रेडनीसोलोन ओरल लिक्विड	प्रेडनीसोलोन-15 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.71
4.	मेबेन्डाज़ोल ओरल लिक्विड	मेबेन्डाज़ोल-100 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.73
5.	डाईइथायलकार्बामेज़ीन ओरल लिक्विड	डाईइथायलकार्बामेज़ीन-120 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.43
6.	एमोक्सीसिलिन ओरल लिक्विड	एमोक्सीसिलिन-250 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	1.26

7.	एमोक्सीसिलिन+ क्लेव्यूलेनिक एसिड ड्राई सिरप	एमोक्सीसिलिन-125 मिग्रा. क्लेव्यूलेनिक एसिड-31.25 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	2.00
8.	सेफाड्रोक्सील ओरल लिक्विड	सेफाड्रोक्सील-125 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.58
9.	क्लेरिथ्रोमाइसिन ओरल लिक्विड	क्लेरिथ्रोमाइसिन-125 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	4.01
10.	मैट्रोनिडाज़ोल ओरल लिक्विड	मैट्रोनिडाज़ोल-200 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.25
11.	नाइट्रोफ्यूरेन्टोइडिन ओरल लिक्विड	नाइट्रोफ्यूरेन्टोइडिन-25 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.76
12.	रेनीटिडिन ओरल लिक्विड	रेनीटिडिन-75 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.54
13.	केपेसिटाबाइन गोलिएं	केपेसिटाबाइन-500 मिग्रा./गोली	1 गोली	117.27
14.	पेक्लीटेक्सेल इन्जेक्शन	पेक्लीटेक्सेल-100 मिग्रा./16.7 मिलि	1 मिलि	207.08
15.	लेक्टुलोज ओरल लिक्विड	लेक्टुलोज-10 ग्राम/15 मिलि	1 मिलि	0.98
16.	सुक्राल्फेट ओरल लिक्विड	सुक्राल्फेट-1 ग्राम	1 मिलि	0.66
17.	लेविट्रासिटम ओरल लिक्विड	लेविट्रासिटम-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	3.53
18.	मेरना इन्जेक्शन	मेरना-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	14.93
19.	लबेटालोल इन्जेक्शन	लबेटालोल-5 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	47.03
20.	जायलोमेटाजोलिन नेज़ल ड्रॉप्स	जायलोमेटाजोलिन-0.1%	1 मिलि	4.82
21.	जायलोमेटाजोलिन नेज़ल ड्रॉप्स	जायलोमेटाजोलिन-0.05%	1 मिलि	3.65
22.	साइक्लोस्पोरिन ओरल लिक्विड	साइक्लोस्पोरिन-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	79.43
23.	एल्प्रोस्टाडिल इन्जेक्शन	एल्प्रोस्टाडिल-0.5 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	5254.55
24.	कैफीन इन्जेक्शन	कैफीन-20 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	232.89
25.	नेटामाइसिन ड्रॉप्स	नेटामाइसिन-5%	1 मिलि	21.16
26.	प्रोपेराकेन ड्रॉप्स	प्रोपेराकेन-0.5%	1 मिलि	9.26
27.	हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोस इन्जेक्शन	हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोस-2%	1 मिलि	34.79
28.	कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोस ड्रॉप्स	कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोस-0.5%	1 मिलि	11.59
29.	कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोस ड्रॉप्स	कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोस-1%	1 मिलि	13.03
30.	फ्लुफेनाज़ाइन डिपोट इन्जेक्शन	फ्लुफेनाज़ाइन-25 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	46.42
31.	रेस्पेरीडान ओरल लिक्विड	रेस्पेरीडान-1 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	1.78
32.	बुडेसोनाइड नेबुलाइज़र में प्रयोग के लिए रेस्पिरेटर सोल्यूशन	बुडेसोनाइड-0.5 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	9.93
33.	बुडेसोनाइड नेबुलाइज़र में प्रयोग के लिए रेस्पिरेटर सोल्यूशन	बुडेसोनाइड-1 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	11.98
34.	पोटाशियम क्लोराइड इन्जेक्शन	पोटाशियम क्लोराइड-150 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	2.25
35.	थायामिन इन्जेक्शन	थायामिन-100 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	23.02
36.	आइप्राट्रोपियम नेबुलाइज़र में प्रयोग के लिए रेस्पिरेटर सोल्यूशन	आइप्राट्रोपियम-250 माइक्रो ग्राम/मिलि	1 मिलि	2.35

37.	फ्युसिडिक ऐसिड क्रीम	फ्युसिडिक ऐसिड-2%	1 ग्राम	8.46
38.	बेन्जॉयल पेराक्साइड जॅल	बेन्जॉयल पेराक्साइड-2.5%	1 ग्राम	3.48
39.	डाइनोप्रोस्टोन जॅल	डाइनोप्रोस्टोन-0.5 मिग्रा.	1 ग्राम	75.21
40.	एसिक्लोविर ऑयन्टमेन्ट्	एसिक्लोविर-3%	1 ग्राम	9.66
41.	सैलिसाइलिक ऐसिड ऑयन्टमेन्ट्	सैलिसाइलिक ऐसिड-6%	1 ग्राम	1.67
42.	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन्जेक्शन	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन-1000 आईयू	प्रति पैक	189.11
43.	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन्जेक्शन	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन-5000 आईयू	प्रति पैक	371.39
44.	वेक्यूरोनियम इन्जेक्शन के लिए पाउडर	वेक्यूरोनियम-10 मिग्रा.	प्रति पैक	168.24
45.	वेक्यूरोनियम इन्जेक्शन के लिए पाउडर	वेक्यूरोनियम-4 मिग्रा.	प्रति पैक	81.20
46.	बुडेसोनाइड इन्हेलेशन	बुडेसोनाइड-100 माइक्रो ग्राम/डोज	प्रति मीटरड डोज	1.22
47.	बुडेसोनाइड इन्हेलेशन	बुडेसोनाइड-200 माइक्रो ग्राम/डोज	प्रति मीटरड डोज	1.50
48.	बुडेसोनाइड+ फोरमोटेराल इन्हेलेशन	बुडेसोनाइड-400 माइक्रो ग्राम+ फोरमोटेराल-6 माइक्रो ग्राम/डोज	प्रति मीटरड डोज	2.74
49.	बुडेसोनाइड+ फोरमोटेराल इन्हेलेशन	बुडेसोनाइड-200 माइक्रो ग्राम+ फोरमोटेराल-6 माइक्रो ग्राम/डोज	प्रति मीटरड डोज	2.19
50.	बुडेसोनाइड+ फोरमोटेराल इन्हेलेशन	बुडेसोनाइड-100 माइक्रो ग्राम+ फोरमोटेराल-6 माइक्रो ग्राम/डोज	प्रति मीटरड डोज	1.74

नोट :

- (क) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) निर्माताओं/विपणन कम्पनियों को सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को पालन करने के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16(4) के तहत अनुसूची II के निर्धारित प्रारूप II में भरकर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षण के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा और इस उप पैरा के अधीन जानकारी न दिये जाने का अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) के पुनरीक्षण न किये जाने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संबद्ध विनिर्माता पूर्व संशोधित/पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) से अधिक भारित रकम को, जैसा भी मामला हो, अधिक भारित होने की तारीख से उस पर ब्याज सहित जमा करने के लिए दायी होगा।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएंगे।

[कां. सं./161/29/2016/वि/फा. सं. 8(29)/2016/डीपी/एनपीपीए.-डि.वी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 1560(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling prices exclusive of local tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mefenamic Acid Oral liquid	Mefenamic acid -100mg/5ml	1 ml	0.48
2.	Prednisolone Oral liquid	Prednisolone-5mg/5ml	1 ml	0.40
3.	Prednisolone Oral liquid	Prednisolone-15mg/5ml	1 ml	0.71
4.	Mebendazole Oral liquid	Mebendazole -100mg/5ml	1 ml	0.73
5.	Diethylcarbamazine Oral Liquid	Diethylcarbamazine-120mg/5ml	1 ml	0.43
6.	Amoxicillin Oral liquid	Amoxicillin-250mg/5ml	1 ml	1.26
7.	Amoxicillin+ Clavulanic Acid Dry Syrup	Amoxicillin-125mg + Clavulanic Acid-31.25mg/5ml	1 ml	2.00
8.	Cefadroxil Oral liquid	Cefadroxil-125mg/5ml	1 ml	0.58
9.	Clarithromycin Oral liquid	Clarithromycin-125mg/5ml	1 ml	4.01
10.	Metronidazole Oral liquid	Metronidazole-200mg/5ml	1 ml	0.25
11.	Nitrofurantoin Oral liquid	Nitrofurantoin-25mg/5ml	1 ml	0.76
12.	Ranitidine Oral liquid	Ranitidine-75mg/5ml	1 ml	0.54
13.	Capecitabine Tablet	Capecitabine-500mg/tablet	1 Tablet	117.27

14.	Paclitaxel Injection	Paclitaxel-100mg/16.7ml	1 ml	207.08
15.	Lactulose Oral liquid	Lactulose-10gm/15ml	1 ml	0.98
16.	Sucalfate Oral liquid	Sucalfate -1gm	1 ml	0.66
17.	Levetiracetam Oral liquid	Levetiracetam-100mg/ml	1 ml	3.53
18.	Mesna Injection	Mesna-100mg/ml	1 ml	14.93
19.	Labetalol Injection	Labetalol-5mg/ml	1 ml	47.03
20.	Xylometazoline Nasal Drops	Xylometazoline-0.1 %	1 ml	4.82
21.	Xylometazoline Nasal Drops	Xylometazoline-0.05 %	1 ml	3.65
22.	Cyclosporine Oral liquid	Cyclosporine-100 mg/ml	1 ml	79.43
23.	Alprostadil Injection	Alprostadil-0.5 mg/ml	1 ml	5254.55
24.	Caffeine Injection	Caffeine-20 mg/ml	1 ml	232.89
25.	Natamycin Drops	Natamycin-5 %	1 ml	21.16
26.	Proparacaine Drops	Proparacaine-0.5%	1 ml	9.26
27.	Hydroxypropyl Methylcellulose Injection	Hydroxypropyl Methylcellulose-2%	1 ml	34.79
28.	Carboxymethylcellulose Drops	Carboxymethylcellulose-0.5%	1 ml	11.59
29.	Carboxymethylcellulose Drops	Carboxymethylcellulose-1%	1 ml	13.03
30.	Fluphenazine Depot Injection	Fluphenazine-25 mg/ml	1 ml	46.42
31.	Risperidone Oral Liquid	Risperidone-1 mg/ml	1 ml	1.78
32.	Budesonide Respirator Solution for use in Nebulizer	Budesonide-0.5mg/ml	1 ml	9.93
33.	Budesonide Respirator Solution for use in Nebulizer	Budesonide-1mg/ml	1 ml	11.98
34.	Potassium Chloride Injection	Potassium Chloride-150 mg/ml	1 ml	2.25
35.	Thiamine Injection	Thiamine-100 mg/ml	1 ml	23.02
36.	Ipratropium Respirator Solution for use in Nebulizer	Ipratropium -250 mcg/ml	1 ml	2.35
37.	Fusidic Acid Cream	Fusidic Acid-2%	1Gm	8.46
38.	Benzoyl Peroxide Gel	Benzoyl Peroxide-2.5%	1Gm	3.48
39.	Dinoprostone Gel	Dinoprostone-0.5mg	1Gm	75.21
40.	Acyclovir Ointment	Acyclovir-3%	1Gm	9.66
41.	Salicylic Acid Ointment	Salicylic Acid -6%	1Gm	1.67
42.	Human Chorionic Gonadotropin Injection	Human Chorionic Gonadotropin -1000 IU	Each Pack	189.11
43.	Human Chorionic Gonadotropin Injection	Human Chorionic Gonadotropin-5000 IU	Each Pack	371.39
44.	Vecuronium Powder for Injection	Vecuronium-10 mg	Each Pack	168.24
45.	Vecuronium Powder for Injection	Vecuronium-4 mg	Each Pack	81.20
46.	Budesonide Inhalation	Budesonide-100 mcg/Dose	Each Metered Dose	1.22

47.	Budesonide Inhalation	Budesonide-200 mcg/Dose	Each Metered Dose	1.50
48.	Budesonide+ Formoterol Inhalation	Budesonide-400 mcg + Formoterol-6 mcg/Dose	Each Metered Dose	2.74
49.	Budesonide+ Formoterol Inhalation	Budesonide-200 mcg + Formoterol-6 mcg/Dose	Each Metered Dose	2.19
50.	Budesonide+ Formoterol Inhalation	Budesonide-100 mcg + Formoterol-6 mcg/Dose	Each Metered Dose	1.74

Note :

- (a) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The ceiling price for a pack of scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Price Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) The manufacturer shall follow ceiling price as mentioned in column (5) and report to the Government in Form II as prescribed under Schedule II of the Drugs (Price Control) Order, 2013 within a period of 15 days of such revision. Non submission of Form II in this regard shall be construed as non-revision in MRP and the concerned manufacturers shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised/revised MRP, as the case may be, along with interest thereon from the date of overcharging.
- (e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulation in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Any manufacturer intending to discontinue above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) The manufacturer not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the Drugs (Price Control) Order, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of ceiling price of the scheduled formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) if any, issued prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/161/29/2016/F/F. No. 8(29)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 1561(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का०आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का. आ. 644(अ), दिनांक 2 मार्च, 2016, को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को

छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	प्रेडनीसोलोन ड्रॉप	प्रेडनीसोलोन-1%	1 मिलि	3.12
2.	कार्बोप्लेटिन इन्जेक्शन	कार्बोप्लेटिन-10 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	49.38
3.	सिसप्लैटिन इन्जेक्शन	सिसप्लैटिन-1 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	6.39
4.	पेक्लीटेक्सेल इन्जेक्शन	पेक्लीटेक्सेल-30 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	207.08

नोट :

- (क) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) निर्माताओं/विपणन कम्पनियों को सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को पालन करने के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16(4) के तहत अनुसूची II के निर्धारित प्रारूप II में भरकर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षण के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा और इस उप पैरा के अधीन जानकारी न दिये जाने का अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) के पुनरीक्षण न किये जाने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संबद्ध विनिर्माता पूर्व संशोधित/पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) से अधिक भारित रकम को, जैसा भी मामला हो, अधिक भारित होने की तारीख से उस पर ब्याज सहित जमा करने के लिए दायी होगा।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[फा. सं./161/29/2016/वि/फा. सं. 8(29)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 1561(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 644(E), dated 2nd March, 2016, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prednisolone Drop	Prednisolone-1%	1 ml	3.12
2.	Carboplatin Injection	Carboplatin-10mg/ml	1 ml	49.38
3.	Cisplatin Injection	Cisplatin-1mg/ml	1 ml	6.39
4.	Paclitaxel Injection	Paclitaxel-30mg/5ml	1 ml	207.08

Note :

- (a) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulation having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (c) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) The manufacturer shall follow ceiling price as mentioned in column (5) and report to the Government in Form II as prescribed under Schedule II of the Drugs (Price Control) Order, 2013 within a period of 15 days of such revision. Non submission of Form II in this regard shall be construed as non-revision in MRP and the concerned manufacturers shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised/revised MRP, as the case may be, along with interest thereon from the date of overcharging.
- (e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers of above said scheduled formulation shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulation in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Any manufacturer intending to discontinue above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) The manufacturer not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the Drugs (Price Control) Order, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of ceiling price of the scheduled formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) if any, issued prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/161/29/2016/F/F. No. 8(29)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

का.आ. 1562(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का०आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4), और (5) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, ईकाई (यूनिट) और निर्मित और विपणन कम्पनियों सहित क्रमशः स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्माता का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	ईकाई (यूनिट)	निर्मित और विपणन द्वारा क्रमशः	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	डिक्लोफेनेक सोडियम+ बेन्जायल एल्कोहॉल इन्जेक्शन (न्यू रुहमाकोट)	प्रत्येक 1 मिलि में : डिक्लोफेनेक सोडियम-75 मिग्रा. बेन्जायल एल्कोहॉल-2% वी/वी (प्रेसरवेटिव के समान) इन्जेक्शन के लिए पानी	1 मिलि	मैसर्स नितिन लाइफसाइसेस लिमिटेड और मैसर्स गेलफा लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	14.30
2.	डेक्सट्रोमिथारफेन एचबीआर+ क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप (सुडिन डी +)	प्रत्येक 5 मिलि में : डेक्सट्रोमिथारफेन एचबीआर-10 मिग्रा. क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट-2 मिग्रा.	1 मिलि	मैसर्स एनिकार फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	0.50

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्माताओं के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों को अनुपालन करती है।
- (ड.) उपर्युक्त विनिर्माताओं की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्माताओं के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्माताओं के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अर्द्धिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./161/29/2016/वि/फा. सं. 8(29)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डि.वी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 27th April, 2016

S.O. 1562(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company respectively, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company respectively	Retail Price (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1	Diclofenac Sodium + Benzyl Alcohol Injection (New Rhumacort)	Each 1 ml contains: Diclofenac Sodium-75mg Benzyl Alcohol-2% v/v (as preservative) Water for injection	1 ml	M/s Nitin Lifesciences Ltd. & M/s Galpha Laboratories Ltd.	14.30
2	Dextrometharpahan HBr+Chlorphenaramine Maleate Syrup (Sudin D+)	Each 5ml contains: Dextrometharpahan HBr 10mg Chlorphenaramine Maleate-2mg	1 ml	M/s Enicar Pharmaceuticals Pvt. Ltd. & M/s Group Pharmaceuticals Ltd	0.50

Note :

- (a) The manufacturers of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulations shall be arrived at by the concerned manufacturers in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturers shall issue a price list in Form-V as per paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.

- (e) The concerned manufacturers of above said formulation shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturers, in case intending to discontinue above said formulation, shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulations as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/161/29/2016/F/F. No. 8(29)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Asstt. Director